कार्रवाई — यातायात नियमों का उल्लंघन करते पुलिस के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए सैकड़ों वाहन चालक

312 चालकों से वसूला 1 लाख 56 हजार जुर्माना

नवभारत, कटनी। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते वाहन चालक पुलिस की तीसरी आंख में कैद हो गए हैं। जिसके बाद यातायात पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस ने जनवरी से अब तक 312 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए एक लाख 56 हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया है। यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर ने बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग चालक की एकाग्रता को भंग कर देता है। चालक का ध्यान कुछ क्षण के लिए भी सड़क से हटने पर दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना दंडनीय अपराध है। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वाले, सिग्नल जंप करने वाले, बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले, ट्रिपल सवारी करने वाले और अन्य नियम उल्लंघनकर्ताओं की गतिविधियां कैमरों में रिकॉर्ड हो रही हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी वाहन चालकों की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसलिए यह समझना गलत होगा कि यदि मौके पर पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दे रहा है तो नियम उल्लंघन दर्ज नहीं होगा। कटनी यातायात पुलिस की तीसरी आंख हर समय सक्रिय है। यातायात पुलिस द्वारा 1 जनवरी 2026 से 30 मई 2026 की अवधि में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करते पाए गए 312 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। 1 लाख 56 हजार का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाकर हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल सवारी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, नो पार्किंग और सिग्नल जंप जैसे नियम उल्लंघनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन चालको को जागरूक भी किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने कहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें। आवश्यक कॉल आने पर सुरक्षित स्थान पर वाहन रोककर ही बात करें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। निर्धारित गति सीमा का पालन करें। सिग्नल, लेन और पार्किंग नियमों का पालन करें। स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

यातायात पुलिस ने कहा कि मोबाइल पर आया संदेश कुछ देर इंतजार कर सकता है, लेकिन सड़क पर आपकी एक गलती किसी परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन सकती है। वाहन चालकों से कहा गया है कि वे नियमों का पालन कर सुरक्षित तरीके से वाहन को चलाएं।

स्वास्थ्य शिविर में की गई ईसीजी, ब्लड शुगर की जांच

कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया स्वास्थ्य शिविर

नवभारत, कटनी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर आस्था प्लाजा स्थित जिला कांग्रेस शहर कमेटी कार्यालय बरगवां में जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला के प्रयासों से हृदय स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में नागरिकों, कांग्रेसजनों, समाजसेवियों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल जैसी महत्वपूर्ण जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। नागपुर से आए वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ निकुंज पवार ने उपस्थित लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन दिया। आयोजकों के अनुसार शिविर का उद्देश्य हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को समय पर जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। शिविर में त्वरित रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी की गई, जिससे लोगों को जांच परिणाम शीघ्र प्राप्त हुए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक सौरभ सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनरेश त्रिपाठी, बीएम तिवारी, प्रशांत जायसवाल, राजेश जाटव, अजय जैसवानी, मंगल सिंह, दिग्विजय सिंह, संजय गुप्ता, श्याम यादव सहित अन्य मौजूद रहे।

एक नजर में

जिले में चलेगा विशेष पल्स पोलियो अभियान

नवभारत, कटनी। जिले को पोलियो मुक्त बनाए रखने के संकल्प के साथ 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाए। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1 लाख 73 हजार 737 बच्चों को पोलियो की दो बूंद अवश्य पिलाई जाए। यह निर्देश कलेक्टर आशीष तिवारी ने पोलियो अभियान के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं और इसके लिए तैयार कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे रविवार 28 जून को अपने पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की खुराक अवश्य पिलवाएं। पोलियो उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान में जनसहभागिता ही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। कलेक्टर ने जिले के करीब 16 लाख की आबादी में से 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को दवा पिलाने के कार्य की शत-प्रतिशत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश के बाद अभियान के सफल संचालन के लिए जिले के 6 विकासखंडों, 1 जिला अस्पताल, 1 सिविल अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य स्वास्थ्य अमला सक्रिय रहेगा।

कुएं में गिरी जंगली बिल्ली को रेस्क्यू कर निकाला

वन विभाग ने कुएं से निकालकर जंगल में छोड़ा

नवभारत, रीठी। जिले के रीठी परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बखलेहटा में एक जंगली बिल्ली कुएं में गिर गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर जंगली बिल्ली को सुरक्षित बाहर निकाला। जिसके बाद उसकी स्वास्थ्य की जांच की गई है। जंगली बिल्ली की वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। इस सफल अभियान में वन रक्षक सनोद कोल, प्रशांत कुमार, रोहित कोल, स्थायी कर्मी शिवदास गड़ारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जंगल कैट भारत में पाई जाने वाली मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। इसके लंबे पैर, नुकीले कान और फुर्तीली चाल इसे अन्य बिल्लियों से अलग पहचान देते हैं। यह घासभूमि, दलदली क्षेत्रों और जंगलों के किनारों में निवास करती है तथा चूहे, पक्षी और छोटे जीवों का शिकार करती है। विशेषज्ञों के अनुसार जंगल कैट पारिस्थितिकी तंत्र में कृंतकों की संख्या नियंत्रित कर जैविक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। वन विभाग ने भी वन्यजीव दिखने के पर तत्काल सूचना दी जाए।

आयुष्मान आरोग्य केन्द्र से एक महीने से अनुपस्थित है सीएचओ

ग्रामीणों को हो रही परेशानी कार्रवाई की मांग

नवभारत, रीठी। जिले की रीठी तहसील से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। अमगवा आयुष्मान आरोग्य केंद्र में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पिछले करीब एक माह से केंद्र से गायब बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। वहीं जब पूरे मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी से फोन पर पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन उठाना तक उचित नहीं समझा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीएचओ की गैरहाजिरी के पीछे क्या कारण है और क्या अधिकारियों का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त है। रीठी तहसील के अमगवा आयुष्मान आरोग्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ग्रामीणों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार केंद्र में पदस्थ सीएचओ बीते एक माह से अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं हैं। इससे केंद्र में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आयुष्मान आरोग्य केंद्र का उद्देश्य लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन जब जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी ही केंद्र में मौजूद नहीं रहेंगे तो आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिल पाएंगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब खंड चिकित्सा अधिकारी से फोन पर संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। बीएमओ का जवाब न देना भी कई सवालों को जन्म दे रहा है। आखिर सीएचओ की अनुपस्थिति की जानकारी अधिकारियों को है या नहीं, यदि जानकारी है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा भी है कि कहीं सीएचओ की लगातार गैरहाजिरी के पीछे अधिकारियों का संरक्षण तो नहीं है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

नशे से दूर रहकर रहें स्वस्थ, बने जागरूक और जिम्मेदार नागरिक

उमरियापान सरकारी कॉलेज में किया गया आयोजन

नवभारत, उमरियापान। जिले के उमरियापान स्थित सरकारी कॉलेज में गुरुवार को शासकीय महाविद्यालय उमरियापान में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना लोक संस्कृति के माध्यम से समाज को संदेश देना । प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशा मुक्ति विषय पर आधारित लोकगीतों की प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं। प्रतिभागियों ने अपने गीतों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार जीवन अपनाने का संदेश दिया। डॉ आशीष पांडेय और रहवर रजा मंसूरी ने नशा नहीं करना मान लो कहना,की शानदार लोकगीत प्रस्तुति देकर सभी को नशा से दूर रहने की समझाइश दी । महाविद्यालय की प्राचार्य ने विद्यार्थियों को कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों की प्रस्तुति, विषयवस्तु, गायन शैली एवं संदेश की प्रभावशीलता के आधार पर मूल्यांकन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी और काफी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

हर बच्चे को शिक्षा और सम्मान से जीने का अधिकार

बाल श्रम कराने वालों पर कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश

नवभारत,कटनी। जिले में बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर आशीष तिवारी ने यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला बाल और किशोर श्रम टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने बाल श्रमिकों की पहचान, बचाव, दोषी नियोजकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की हिदायत दी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर भी मौजूद रहीं।

बैठक में कलेक्टर ने ने कहा कि किसी भी बच्चे का स्थान कारखानों, दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नहीं, बल्कि स्कूल और परिवार के सुरक्षित वातावरण में होना चाहिए। उन्होंने जिले में बाल श्रम के विरुद्ध व्यापक और परिणाममूलक अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि बाल श्रम के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। कलेक्टर ने श्रम विभाग, पुलिस, महिला और बाल विकास, शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त दल गठित कर शहर, ग्रामीण क्षेत्रों के होटल, ढाबों, कार्यशालाओं, औद्योगिक इकाइयों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी बाल श्रमिक पाए जाएं, वहां तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्रवाई के अलावा जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाए। इसके लिए विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए लोगों को बाल श्रम कानून और उसके दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी दी जाए, ताकि समाज स्वयं इस बुराई के खिलाफ जागरूक होकर सहयोग कर सके। बैठक में बताया गया कि बाल और किशोर श्रम अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित कार्यों में नियोजित करना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी नियोजक पर 20 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या फिर दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान है।

समिति के सचिव और श्रम पदाधिकारी केबी मिश्रा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बाल श्रम कानून के विभिन्न प्रावधानों, टास्क फोर्स की भूमिका और बचाव, पुनर्वास की प्रक्रिया की जानकारी दी। बैठक में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में कलेक्टर श्री तिवारी ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार है।

किराए के मकान में रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों मौत

मदन मोहन चौबे वार्ड स्थित कमरे में मिला शव

नवभारत,कटनी। रंगनाथ नगर थाना अंतर्गत मदन मोहन चौबे वार्ड में एक युवती का उसके कमरे में संदिग्ध परिस्थियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मर्ग प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि मूल रूप से शहडोल जिले की निवासी सेजल नोनिया वर्तमान में रंगनाथ थाना अंतर्गत मदन मोहन चौबे वार्ड निवासी मीना यादव के मकान में किराए से रहती थी, युवती एक निजी अस्पताल में नर्स का कार्य करती थी। शुक्रवार की रात को वह अपनी ड्यूटी खत्म करके कमरे पर लौटी थी। शनिवार सुबह जब मकान मालिक और पड़ोसियों ने पानी भरने के लिए सेजल को आवाज दी, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई, तो मकान मालिक को किसी अनहोनी का शक हुआ और उन्होंने तत्काल पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही रंगनाथ नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब बंद कमरे का दरवाजा खुलवाया, तो अंदर सेजल का शव पड़ा था। पुलिस को छानबीन के दौरान शव के पास से जहरीले इंजेक्शन के कुछ खाली रैपर और अवशेष भी मिले हैं, जिससे मामला आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा है। रंगनाथ थाना प्रभारी अरूण पाल सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि मौत किसी जहरीली दवा या इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से हुई है। युवती के परिजनों को सूचना दी गई है। जांच की जा रही है।

असमय मौत पर आश्रितों को मिलेंगे सवा लाख रूपए

नवभारत, कटनी। मुख्यमंत्री की प्रगतिशील सोच और लोककल्याणकारी निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता से प्रदेश के नगरीय निकाय कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच मिला है। मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के दायरे में आने वाले नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 1 अप्रैल 2025 और उसके घटित होने वाले सभी प्रकरणों पर प्रभावशील होगा।

अतिक्रमण — इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों में अवैध कब्जा करने वालों पर की गई कार्रवाई

हितग्राहियों का दोबारा सत्यापन कर आवंटित किए जाएंगे इंदिरा आवास योजना के घर

नवभारत, कटनी। शासन की महत्वाकांक्षी आईएचएसडीपी योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा विभिन्न बस्तियों में निर्मित कराए गए आवासों से अनधिकृत कब्जे धारियों को हटाकर पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के लिए नगर पालिक निगम द्वारा शनिवार को प्रभावी कार्रवाई की गई।

नगर निगम प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा पडरवारा स्थित चांदमारी बस्ती में जांच के दौरान इंदिरा आवास योजना के आवासों पर अपात्र व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया जाना पाया गया। जिस पर नियमानुसार नोटिस और विधि सम्मत प्रक्रिया के बाद उक्त सभी 12 आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए वास्तविक पात्र हितग्राहियों को आवंटन के लिए खाली कराया गया है। नगर निगम अधिकारियों की टीम द्वारा उक्त आवास के संबंध में स्थलीय सत्यापन किया गया था। सत्यापन में स्पष्ट हुआ कि आवास आवंटन के बाद मूल हितग्राही द्वारा आवास का उपयोग नहीं पाए जाने और 12 अपात्र व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करना पाया गया, जो इंदिरा आवास योजना के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। जिस पर निगम प्रशासन द्वारा प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान करने के बाद संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर निगम प्रशासन द्वारा शनिवार को योजना के नोडल अधिकारी सुनील सिंह, अतिक्रमण अधिकारी मानेंद्र सिंह की उपस्थिति में पुलिस बल की सहायता से उक्त 12 आवासों को खाली कराने की कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन ने बताया कि इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य आवासहीन गरीब और पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है।

अनधिकृत कब्जे के कारण वर्षों से वंचित रह गए पात्र हितग्राहियों की सूची का दोबारा सत्यापन कराकर उन्हें शीघ्र आवास आवंटित किए जाएंगे। नगर निगम कटनी द्वारा शहर में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित समस्त आवासों का चरणबद्ध भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। यदि कोई अन्य आवास भी अनधिकृत रूप से कब्जा धीन पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार भवन खाली करने की कार्रवाई की जाएगी।